



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2478]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2017/भाद्र 8, 1939

No. 2478]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2017/BHADRA 8, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2017

(आयकर)

का.आ. 2826(अ).—जबकि दिनांक 7 सितंबर, 1994 को हैनोई में हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार को संशोधित करने वाले प्रोटोकॉल (जिसे इस के बाद "उक्त प्रोटोकॉल" कहा गया है) पर हैनोई, वियतनाम में सितम्बर, 2016 के तीसरे दिन हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि उक्त प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख 21 फरवरी, 2017 है, जो कि उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 2 के अनुसार, उक्त प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए घरेलू अपेक्षाएं पूरी करने वाली अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

इसलिए, अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न उक्त प्रोटोकॉल के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं 82/2017/फा.सं.503/5/2009-एफटीडी-II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

अनुबंध
आय पर करों के संबंध में
दोहरे कराधान के परिहार
तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए
भारत गणराज्य की सरकार
तथा
वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार
के बीच करार का संशोधनकारी प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार,
दिनांक 7 सितंबर, 1994 को हैनोई में हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और वियतनाम समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार (जिसे इस प्रोटोकॉल में "करार" कहा गया है) में संशोधन करने की इच्छा से,
इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

करार के अनुच्छेद 27 के पाठ को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

अनुच्छेद 27

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचनाओं (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे, जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्य के करार के अंतर्गत आने वाले करों से संबंधित आंतरिक कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस करार के प्रतिकूल न हों, विशेषकर ऐसे करों के संबंध में धोखाधड़ी या अपवंचन की रोकथाम के लिए। संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी, जैसे राज्य के घरेलू कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना। तथापि, यदि संचार करने वाले राज्य में वह सूचना मूलतः गुप्त मानी गई है, तो यह सूचना केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालयों तथा प्रशासनिक इकाइयों सहित) के समक्ष प्रकट की जाएगी, जो करों, जोकि करार का विषय है, के निर्धारण अथवा संग्रहण, करों से सम्बंधित प्रवर्तन अथवा अभियोजन, अथवा करों से सम्बंधित अपीलों के निर्धारण में शामिल हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी यह सूचना केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए प्रयोग करेंगे, परंतु वे लोक अदालती कार्यवाहियों अथवा अदालती निर्णयों में इस सूचना को प्रकट कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी, विचार-विमर्श के द्वारा उन मामलों के बारे में समुचित वातावरण, तरीके तथा तकनीकें विकसित करेंगे जिनके सम्बंध में कर परिहार से सम्बंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान, जहाँ उचित हो, सहित ऐसी सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाएगा। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों तथा ऐसे प्रयोग के लिए प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता राज्य के प्राधिकरणों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो।

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो नित्य आधार पर अथवा विशेष मामलों के संदर्भ में किए गए निवेदन पर अथवा दोनों सूरतों में किया जाएगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर ऐसी सूचनाओं अथवा दस्तावेजों की सूची पर सहमत होंगे, जो नित्य आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

3. पैराग्राफ 1 के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा :

- a) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों या प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- b) ऐसी सूचनाओं या प्रलेखों की आपूर्ति करना, जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

- c) ऐसी सूचनाओं या प्रलेखों की आपूर्ति करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।”

अनुच्छेद 2

करार का एक नया अनुच्छेद 27क डाला जाएगा:

“अनुच्छेद 27क

करों के संग्रहण में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।
2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी किस्म के करों और विवरण से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस करार अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित व्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली अथवा संरक्षण के संबंध में देय राशि है।
3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को उस राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा था, के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा वसूल किया जाएगा।
4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।
5. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।
6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष नहीं लाया जाएगा।

7. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित राजस्व दावे को वसूल करने और प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा :

क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा

ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है

प्रथमोल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर हटा लेगा।

8. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा :

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (*आर्डर पब्लिक*) के विपरीत हों;

(ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;

(घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो।

अनुच्छेद 3

संविदाकारी राज्य इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे। यह प्रोटोकॉल अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 4

यह प्रोटोकॉल जो इस करार का अभिन्न अंग होगा, तब तक लागू रहेगा जब तक यह करार लागू रहेगा तथा तब तक प्रभावी होगा जब तक खुद यह करार प्रभावी रहेगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

हनोई में वर्ष दो हजार सोलह के सितंबर माह के तीसरे दिन को हिन्दी, अंग्रेजी और वियतनामी भाषाओं में, दो प्रतियों में निष्पादित और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य
की सरकार की ओर से

वियतनाम समाजवादी गणराज्य
की सरकार की ओर से

(पर्वतनेनि हरीश)
वियतनाम समाजवादी गणराज्य में भारत गणराज्य
के असाधारण एवं पूर्ण शक्ति-युक्त राजदूत

(डो होआंग एंग त्वन)
उप-वित्त मंत्री

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th August, 2017

(INCOME-TAX)

S.O. 2826(E).—Whereas the Protocol amending the Agreement, signed at Ha Noi on the 7th day of September, 1994, between the Government of the Republic of India and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, was signed at Ha Noi, Viet Nam on the 3rd day of September, 2016 (hereinafter referred to as the “the said Protocol”);

And whereas the date of entry into force of the said Protocol is the 21st day of February, 2017, being the date of the later of the notifications of the completion of domestic requirements for the entry into force of the said Protocol, in accordance with Article 3 of the said Protocol;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the said Protocol, as set out in the Annexure hereto, shall be given effect to in the Union of India.

[Notification No. 82/2017/ F.No.503/5/2009-FTD-II]

RAJAT BANSAL, Jt Secy.

ANNEXURE**PROTOCOL AMENDING****THE AGREEMENT****BETWEEN****THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA****AND****THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM FOR THE AVOIDANCE
OF DOUBLE TAXATION****AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION****WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME**

The Government of the Republic of India and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam,

Desiring to amend the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income signed at Ha Noi on the 7th day of September, 1994 (in this Protocol referred to as “the Agreement”),

Have agreed as follows:

Article 1

The text of Article 27 of the Agreement is deleted and replaced by the following:

*“Article 27***EXCHANGE OF INFORMATION**

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the agreement, insofar as the taxation thereunder is not

contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of the State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

Article 2

A new Article 27A of the Agreement shall be inserted:

“Article 27A ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.

2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Agreement or any other instrument to

which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State.

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other Contracting State.

7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be

- (a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, or
- (b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection

the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.

8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to carry out measures which would be contrary to public policy (*ordre public*);
- (c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;
- (d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.”.

Article 3

The Contracting States shall notify each other in writing through diplomatic channel of the completion of their domestic requirements for the entry into force of this Protocol. The Protocol shall enter into force on the date of the later of these notifications.

Article 4

The Protocol, which shall form an integral part of the Agreement, shall remain in force as long as the Agreement remains in force and shall apply as long as the Agreement itself is applicable.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Ha Noi, on this 3rd day of September, 2016, in English, Hindi and Vietnamese languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

(Parvathaneni Harish)
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary Republic of India to S.R. Vietnam

(Do Hoang Anh Tuan)
Vice Minister of Ministry of Finance.